



न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प भोपाल  
PBK/निगरानी/हरदा/भू.रा/२०१७/५८९५  
निगरानी प्र.क. :— /पीबीआर/2017

प्रस्तुत दिनांक :—

याचिकाकर्तागण :— 1. रामौतार वल्द हीरालाल

*मी. अनश्वामी छोनी  
निगरानी हरदा २८-१८-२०१७  
प्रधान (अमी)  
२८-१८-२०१७*

2. इंद्रबाई पति रामौतार
3. शिवनारायण वल्द रामौतार
4. गायत्रीबाई पति शिवनारायण
5. चंद्रशेखर पिता शिवनारायण
6. अंजली पति चंद्रशेखर
7. भगत सिंह वल्द शिवनारायण

सभी जाति जाट निवासी ग्राम रातातलाई

तहसील हंडिया जिला हरदा

बनाम

उत्तरवादीगण :— 1. रामभरोस आयु—42 पिता तुलसीराम जाट

2. कु. ईशा आयु—12 वर्ष ना.बा. वल्द व बली

पिता रामभरोस जाट

3. कु. मिशा आयु— 10वर्ष नाबालिग वल्द वो बली

पिता रामभरोस

4. कार्तिक आयु—7 वर्ष नाबालिग वल्द वो बली

पिता रामभरोस, सभी जाति जाट निवासी ग्राम

2  
//02//

### देवास तहसील हंडिया जिला हरदा

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

याचिकाकर्तार्गण यह याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी हरदा द्वारा राजस्व अपील कं 21/वर्ष 16-17 ग्राम खेड़ा मे आदेश पत्रिका मे पारित आदेश दिनांक-16/08/17 से व्यथित होकर तथा आदेश पत्रिका दिनांक-18/08/17 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत है :-

#### प्रकरण के तथ्य

1/- यह, कि उत्तरवादीगणो के द्वारा एक अपील माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय हरदा की न्यायालय मे अन्तर्गत धारा-44(13) म.प्र.भू.रा.सं. के अन्तर्गत प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय हंडिया द्वारा रा.प्र.कं 21/अ-27/वर्ष 2010-11 मे पारित आदेश दिनांक-17/01/12 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की, एवं अपील को समयावधि मे मानकर श्रवण किए जाने हेतु पृथक से एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-05 भारतीय मर्यादा अधिनियम का भी प्रस्तुत किया।

2/- यह, कि न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय हरदा द्वारा याचिकाकर्तार्गण/ उत्तरवादीगण को वगैर सूचनापत्र जारी किए और वगैर उनकी विधिक तामिली के अपीलार्थीगण द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-05 भारतीय मर्यादा अधिनियम का दिनांक-18/08/17 को स्वीकार कर लिया गया, पश्चात उत्तरवादीगण/ याचिकाकर्तार्गण की तामिली हुई पश्चात मे एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-32 म.प्र.भू.रा.सं. का इस आशय का उत्तरवादीगण/ याचिकाकर्तार्गण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि

*D.S. 29 Anjali Path 52-वाई गाहनी //03//  
Bhagal  
रामउग्नि 2255*

रामोऽलू | रामबरोसे  
PRB | नि | ६२६० | मु.२१ | १७ / ४८९५

३

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिकारी आदि के हस्ताक्षर
५/११८	<ul style="list-style-type: none"> <li>- अनेक रामोऽलू के अलू की धनशमाल सोनी अपेक्षित।</li> <li>- अनेक अलू अनुपायित-</li> <li>- म.प्र. दूःख २० राज्यिता १९५७ में २५ सितम्बर २०१६ से संशोधन लागू किया रखा है।</li> <li>- जिसके अनुसन्धान उत्तिविभाग अधिकारी के आदेश के बिना संशोधन क्लिनिक की धरा ५०(१). व ५४(क) अनुसन्धान निरापानी (Revision) क्लिनिक के छारा सुनी जायेगा।</li> <li>- अतः प्रकरण क्लिनिक द्वारा को <del>कर्म</del> निराकरण हेतु भीजा जायें।</li> <li>- सम्बन्धित पक्षकारों के आविष्यकों को नोटकरायें।</li> <li>- अप्रपक्ष १० नोव ५. X. २०१८ (५<sup>th</sup> नवम्बर २०१८) को क्लिनिक हृदय के विषयों में उपस्थित हों।</li> </ul> <p>CF. ०५. ११. २०१८</p>	<p>मुम्पु ठाकुर (धनशमाल छारा)</p>